न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 54/2026

अनवान : –

1. जीविका उम्र 15 वर्ष पुत्री जयवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सन्तोष पत्नि जयवीर जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।
2. जयन्त चौधरी उम्र 4 वर्ष पुत्र जयवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सन्तोष पत्नि जयवीर जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सन्तोष पत्नि जयवीर जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानमगढ़

– वादीगण

बनाम्

1. शारदा पत्नि लिच्छीराम जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानमगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 176/158 के ख.न. 676 की 2.9080 हैक्टर भूमि ख.न. 679 की 2.2640 हैक्टर कुल तादादी 5.1720 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जयवीर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण के दादा व ससुर के फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि वादीगण के पिता एव पति जयवीर के नाम दर्ज हुई तथा जयवीर फौत हो चुका है जिसके विधिक एवं प्रथम श्रेणी वारिसान वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 है तथा जयवीर ने अपने हक व हिस्सा को भूमि अपने जीवन काल में वाद भूमि को जरिये रजि. वैयनाम दिनांक भूमि बैय कर दी थी। तथा मृतक जयवीर के नाम दर्ज कृषि भूमि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 176/158 के ख.न. 676 की 2.9080 हैक्टर भूमि ख.न. 679 की 2.2640 हैक्टर कुल तादादी 5. 1720 हैक्टर भूमि में से मृतक जयवीर के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि के वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार हुये है वाद भूमि वादीगण के पिता एव पति जयवीर के नाम दर्ज है तथा वादीगण के पिता जयवीर फौत हो चुका है तथा वादी सं. 1 व 2 व वादी सं. 3 जो कि अपने बच्चो संहित अपने पिहर में रहन कर बच्चो का पालन पोषन करती है तथा अब प्रतिवादीया सं. 1 जो कि मृतक जयवीर की माता है वाद भूमि प्रथम श्रेणी की वारिस मानकर समस्त कृषि भूमि को अपने अकेली के नाम दर्ज करवाकर वादीगण को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहती है तथा प्रतिवादी सं. 1 अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाती है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किसी कदर सम्भव नही हो पायेगी इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने के अधिकारी है रोही

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 176/158 की कुल तादादी 5.1720 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जो मृतक जयवीर के नाम दर्ज है में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है मृतक जयवीर का नाम जमाबन्दी से कलमजन करवाकर इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया की वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी स0 1 जो की वादीगण की दादी है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी स0 1 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 176/158 की कुल 5.1720 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मे मृतक जयवीर का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र जयवीर पेश किये जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी स0 1 जो की वादीगण की दादी है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी स0 1 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 176/158 की कुल 5.1720 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मे मृतक जयवीर का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 176/158 के ख.न. 676 की 2.9080 हैक्टर भूमि ख.न. 679 की 2.2640 हैक्टर कुल तादादी 5.1720 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जयवीर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीगण का कथन है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी स0 1 जो की वादीगण की दादी है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादी स0 1 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इसलिए रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 176/158 की कुल 5.1720 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि मे मृतक जयवीर का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया कि मुताबिम राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है एवं जयवीर का देहान्त हो चुका है तथा वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा जयवीर के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी गण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 176/158 के ख.न. 676 की 2.9080 हैक्टर भूमि ख.न. 679 की 2.2640 हैक्टर कुल तादादी 5.1720 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जयवीर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक जयवीर का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ......03/06/26...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 54 / 2026

अनवान : –

1. जीविका उम्र 15 वर्ष पुत्री जयवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सन्तोष पत्नि जयवीर जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।
2. जयन्त चौधरी उम्र 4 वर्ष पुत्र जयवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता सन्तोष पत्नि जयवीर जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सन्तोष पत्नि जयवीर जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानमगढ़

– वादीगण

बनाम्

1. शारदा पत्नि लिच्छीराम जाति जाट साकिन सोनड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानमगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 54 सन 2026 निर्णय दिनांक 03/06/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री राजपाल झोरड़ एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 176 / 158 के ख.न. 676 की 2.9080 हैक्टर भूमि ख.न. 679 की 2.2640 हैक्टर कुल तादादी 5.1720 हैक्टर भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि जयवीर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक जयवीर का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 /– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...03/06/26... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर